<u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या ~~246~~787/2019 (एम.ए.सी.पी.सं. 627/2011)

यशवन्त सिंह आदि बनाम उमाशंकर आदि

<u>16.06.2020</u>

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र याची यशवन्त सिंह, श्रीमती अर्चना, सहदेव व कु० प्रियन्सी उर्फ राधा की ओर से एम.ए.सी.पी.सं. 627/2011 के निर्णय के अनुपालन में अवशेष जमा की गयी धनराशि ~~50108~~58108/– रूपये को वापस प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मूल याचिका की याचिया श्रीमती केशकली की मृत्यु हो चुकी है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अवशेष धनराशि 58108/–रूपये पंजाब नेशनल बैंक, झोकनबाग, झांसी स्थित न्यायाधिकरण के खाते में जमा है। प्रार्थी सहदेव व प्रियन्सी ने कथन किया है कि अवशेष धनराशि को उनकी मां श्रीमती अर्चना तथा उनके दादा यशवन्त सिंह को दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः पंजाब नेशनल बैंक, झोकनबाग झांसी को आदेशित किया जाता है कि एम.ए.सी.पी. सं. 627/2011 में अवशेष धनराशि ~~50108~~58108/–रूपये तथा उस पर अब तक के ब्याज को प्रार्थी सं 1 यशवन्त सिंह के पंजाब नेशनल बैंक, झोकनबाग झांसी के खाता सं. 3671000101153471 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तत्काल स्थानान्तरित कर दें तथा आख्या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.एम.ए.सी.टी.,झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.16 15:10:48 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI